तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ जिला अजमेर (राज)** **दीवानी दावा संख्या–34/2016** **सी.आई.सी संख्या– 42/2016** **कन्हैयालाल बनाम सुवा व अन्य** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

03.09.2025	श्री, पवन प्रकाश कुमावत अधिवक्ता–प्रार्थी–प्रतिवादी की ओर से श्री प्रतीक मेहता अधिवक्ता–अप्रार्थी–वादी की ओर से उप0। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दिवानी का जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर किया। जिस पर इस प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2025 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली अभी साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर है। प्रार्थी जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता है वे दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेजात है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यह प्रार्थना पत्र विलम्ब कारित करने हेतु प्रस्तुत किया है। जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए है वे हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अभी साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर है। प्रतिवादी/प्रार्थी जिन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता है वे दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के पक्षकारों व विषयवस्तु से संबंधित होने के कारण इस प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होते है। जहाँ तक देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस देरी को कोस्ट लगाकर कम्पनसेट किया जाता सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 1000/–रूपये के खर्चे पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। कॉस्ट राशि वादी को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक **15.09.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर जिला न्यायाधीश सं.1,** **किशनगढ अजमेर**	